PPT ON SPORTS GOODS

राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
मेरठ जोन, मेरठ

व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखं।
आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम् ॥

SPORTS GOODS

खेलों को प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

1. घर के बाहर खेले जाने वाले खेल
2. घर के अंदर खेले जाने वाले खेल
3. व्यायाम(फिटनेस)

स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग के अन्तर्गत क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, कैरम, टेबल टेनिस, गोल्फ, तीरंदाजी, फुटबाल, वॉलीबाल, स्कैटिंग, हाकी, भाला, स्केटबोर्डिंग, तैराकी, योगा मैट, जॉगिंग और रनिंग उपकरण, एरोबिक उपकरण, भारोत्तोलन आदि जैसे खेल से सम्बन्धित सामग्री आती हैं। फिटनेस उपकरण और सहायक उपकरण, जिसमें वर्तमान में ट्रेडमिल, होम जिम, एरोबिक व्यायाम, वज़न और बेंच और व्यायाम सहायक आदि से सम्बन्धित उपकरण शामिल हैं। किड्स स्पोर्ट्स के अन्तर्गत ट्रैम्पोलिन जैसे उपकरण शामिल हैं।

विश्व के शीर्ष खेल सामान निर्माता देश

1. चीन
2. यूएसए
3. नीदरलैंड
4. जर्मनी
5. **भारत-** भारत का खेल सामान उद्योग लगभग एक सदी पुराना है और वैश्विक बाजार में प्रमुख स्थान रखता है।
6. इटली
7. फ्रांस
8. हांगकांग

खेल मानचित्र पर भारत

- भारत वर्तमान में 300 से अधिक खेल-संबंधित सामान जैसे खिलौने, वीडियो गेम कंसोल और सामग्री, उत्सव और कार्निवल सामग्री, जिमनास्टिक और खेलों के सामान, मछली पकड़ने की सामग्री, आउटडोर गेम, खिलौने आदि का निर्माण करता है। भारतीय खेल सामान उद्योग 318 वस्तुओं का निर्माण करता है। हालाँकि, निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ फुलाने योग्य गेंदें, हॉकी स्टिक और गेंदें, क्रिकेट के बल्ले और गेंदें, मुक्केबाजी उपकरण, मछली पकड़ने के उपकरण, कैरम और शतरंज बोर्ड जैसे इनडोर गेम और विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण हैं।
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, जम्मू और पश्चिम बंगाल भारत के शीर्ष खेल सामान उत्पादक राज्यों में से हैं।
- इनमें पंजाब का जालंधर शहर और उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर प्रमुख हैं जहां देश के कुल उत्पादन का लगभग 75-80% उत्पादित किया जाता है।

Commodity-wise share in India's total sports goods exports (2021-22)

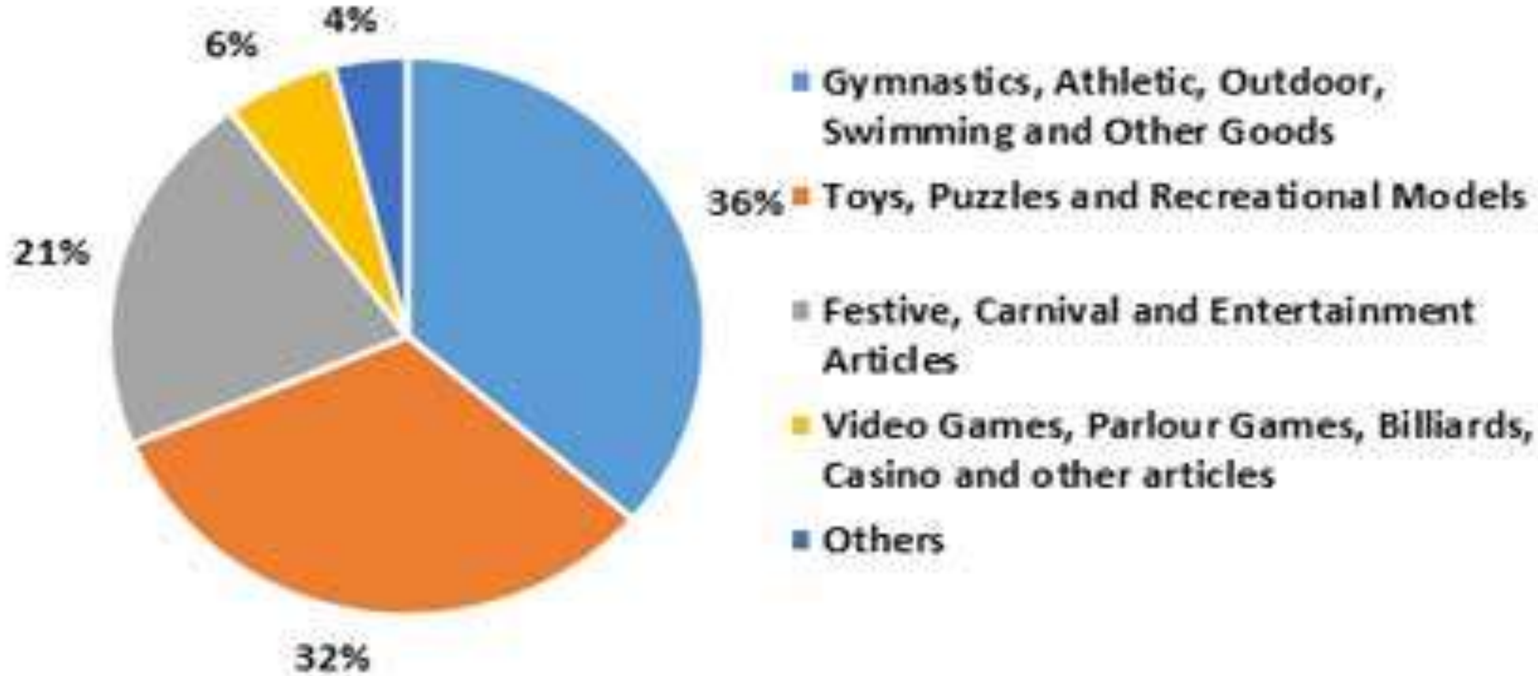

Source: Department of Commerce

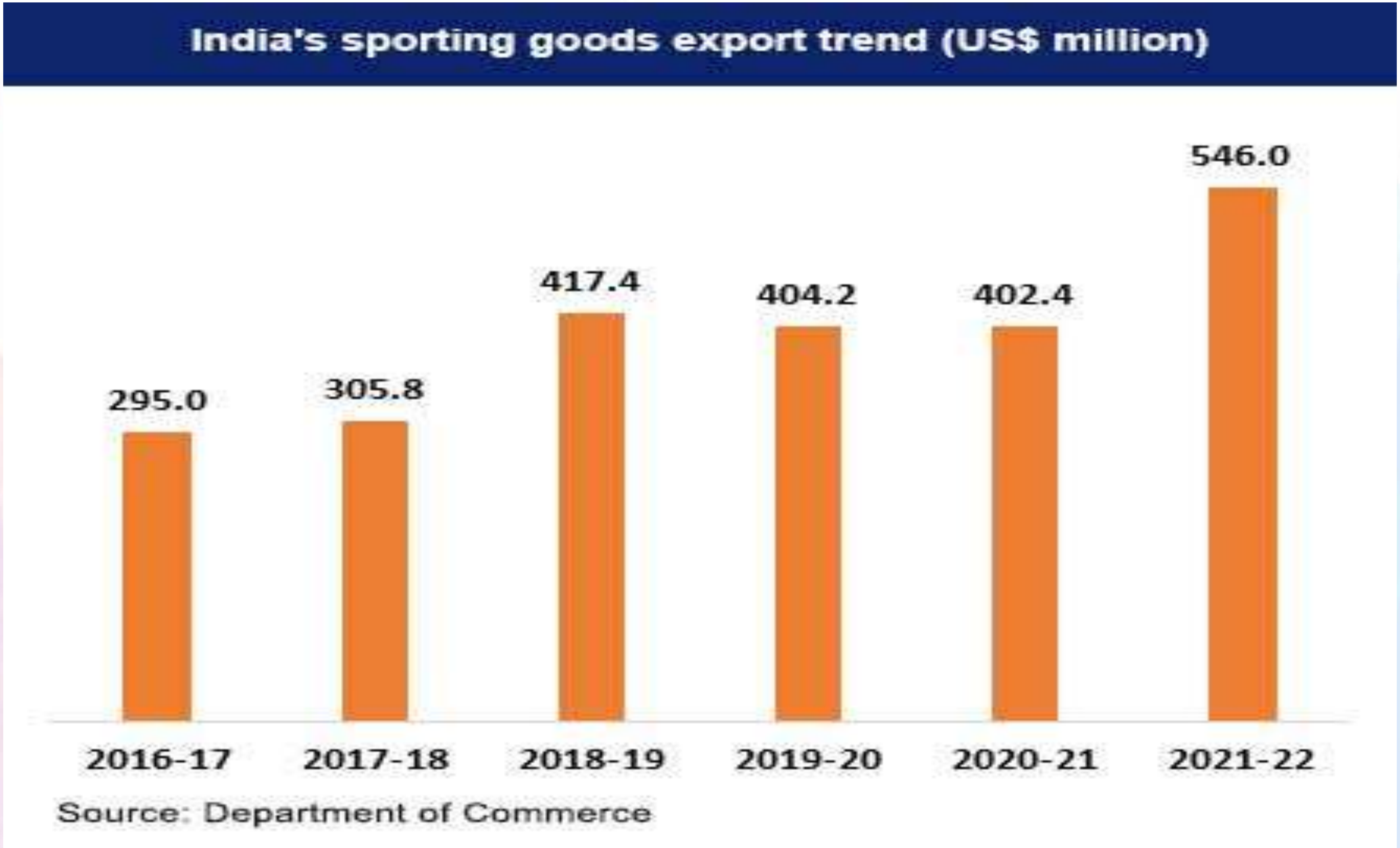

- निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में फुलाने योग्य गेंदें और सहायक उपकरण, जाल, सामान्य व्यायाम उपकरण, मुक्केबाजी उपकरण, खिलौने और खेल, सुरक्षात्मक उपकरण, क्रिकेट उपकरण, खेलों के कपड़े, कैरम बोर्ड और झूला शामिल हैं।

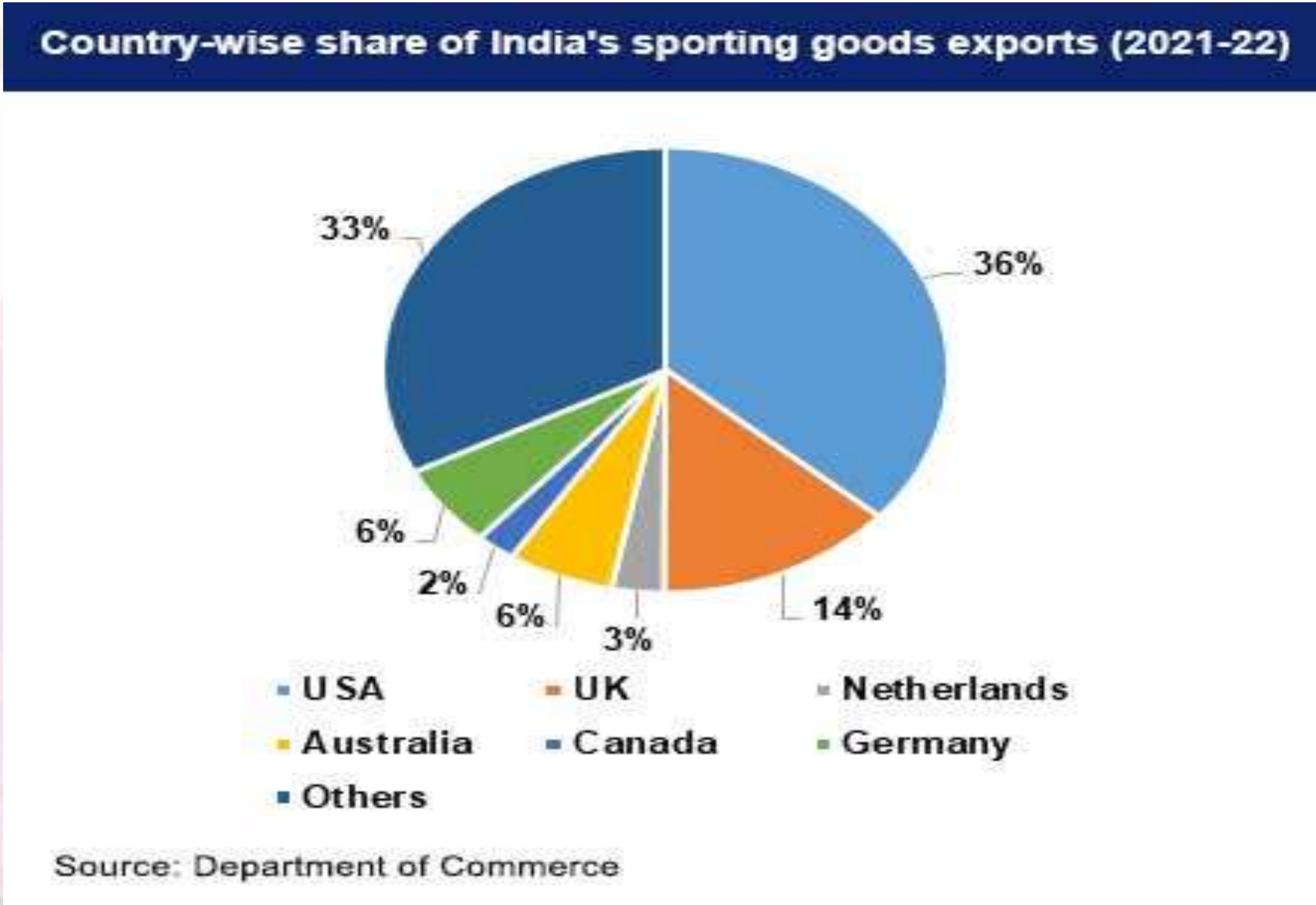
Country-wise share of India's sporting goods exports (2021-22)
33%
36%
6%
2%
6%
3%
14%
USA
UK
Netherlands
Australia
Canada
Germany
Others
Source: Department of Commerce

आधार

- पिछले कुछ वर्षों में विनिर्माण केंद्र जालंधर, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, आगरा, मोरादाबाद, चेन्नई, जम्मू और कलकत्ता में और उसके आसपास स्थापित हुए हैं। इनमें से, जालंधर और मेरठ मिलकर भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% से 80% तक का दावा करते हैं।
- **जालंधर** प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करता है जो कि इन्फ्लेटेबल गेंदें हैं और अन्य प्रकार की गेंदें निर्यात की जाने वाली खेल वस्तुओं का बड़ा हिस्सा हैं
- **मेरठ** क्रिकेट के बल्ले और संबंधित उपकरण, हॉकी स्टिक, टीटी बल्ले, व्यायामशाला और एथलेटिक उपकरण और अन्य खेल उपकरण का निर्यात करता है।

क्रिकेट

- बल्ला सेलिक्स अल्बा (सफ़ेद विलो) लकड़ी से बना होता है - एक ब्लेड के आकार का जिसके शीर्ष पर बेलनाकार हैंडल है। (4.25 इंच चौड़ाई, 38 इंच से अधिक लंबाई नहीं)। सारावाक बेंत से बना हैंडल होता है।
- BRANDS- SS(Yuvi),GM,Kookaburra(handmade),Spartan (Dhoni),SG(Sunil Gavaskar, Sehwag, Dravid)
- इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो दो प्रकार की लकडियों का प्रयोग होता है।

टेबल टेनिस

- रैकेट -लेमिनेटेड लकड़ी रबर से ढकी हुई से टेबल टेनिस रैकेट का निर्माण होता है। आईटीटीएफ नियमों के अनुसार, मोटाई के हिसाब से ब्लेड का कम से कम 85% हिस्सा प्राकृतिक लकड़ी का होना चाहिए। सामान्य लकड़ी के प्रकारों में बाल्सा, लिम्बा, साइप्रस और हिनोकी शामिल हैं, जो जापान में लोकप्रिय हैं।
- गेंद- अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्दिष्ट करते हैं कि टेबिल टेनिस 2.7 ग्राम (0.095 औंस) के द्रव्यमान और 40 मिलीमीटर (1.57 इंच) के व्यास वाली गेंद के साथ खेला जाता है। [निर्माता अक्सर स्टार रेटिंग प्रणाली के साथ गेंद की गुणवत्ता का संकेत देते हैं, आमतौर पर से एक से तीन ग्रेड होता है, तीन उच्चतम ग्रेड है।

- B

जिम और एथलेटिक उपकरण

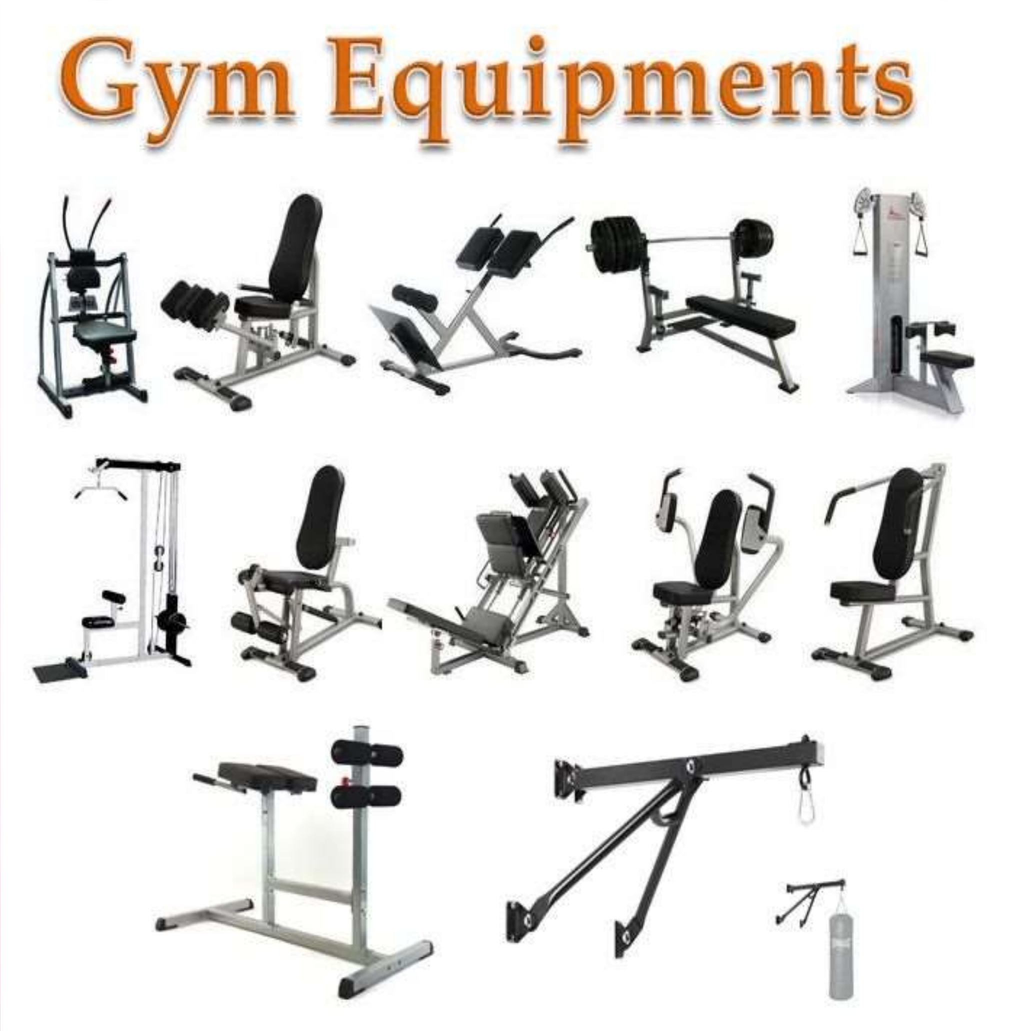

1.Jerai Fitness Pvt. Ltd.
2.Nortus Fitness
3.Durafit
4.Fitline India
5.KFS Fitness
6.Viva Fitness
7.Fitness World(NOIDA)
8.Hercules Fitness(Chennai)
9.Into Wellness
10.Body Solid(Nasik)

GSTIN COLLECTION COMMODITY WISE REPORT

YEAR : 2021-2022

S.No.	Zone	Total Dealer	IGST Paid from SGST/UTGST ITC	SGST/UTGST paid from IGST ITC	Net IGST transferred (5-4)	Cash Deposited as SGST	Total collection (6+7)(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Agra**	371	7,112,871.00	68,199,989.00	61,087,118.00	8,864,715.00	69,951,833.00
2	**Aligarh**	537	19,912,643.00	53,107,936.00	33,195,293.00	7,162,800.00	40,358,093.00
3	**Ayodhya**	278	1,522.00	12,369,486.00	12,367,964.00	7,233,823.00	19,601,787.00
4	**Bareilly**	325	1,092,058.00	51,206,779.00	50,114,721.00	10,909,438.00	61,024,159.00
5	**Etawah**	201	2,242,571.00	17,955,765.00	15,713,194.00	7,408,050.00	23,121,244.00
6	**Gautambudha Nagar**	1029	145,928,867.00	247,743,159.00	101,814,292.00	161,196,734.00	263,011,026.00
7	**Ghaziabad I**	1340	64,955,019.00	68,809,740.00	3,854,721.00	37,087,928.00	40,942,649.00
8	**Ghaziabad II**	584	14,119,673.00	27,125,240.00	13,005,567.00	13,098,354.00	26,103,921.00
9	**Gorakhpur**	412	1,563,716.00	49,605,349.00	48,041,633.00	6,561,066.00	54,602,699.00
10	**Jhansi**	209	235,746.00	9,991,896.00	9,756,150.00	2,481,292.00	12,237,442.00
11	**Kanpur I**	280	1,862,054.00	31,368,902.00	29,506,848.00	13,462,417.00	42,969,265.00
12	**Kanpur II**	315	3,151,300.00	48,454,759.00	45,303,459.00	7,079,267.00	52,382,726.00
13	**Lucknow I**	502	2,466,493.00	76,221,200.00	73,754,707.00	16,526,800.00	90,281,507.00
14	**Lucknow II**	490	6,957,811.00	83,664,845.00	76,707,034.00	45,039,359.00	121,746,393.00
15	**Meerut**	4092	445,267,535.00	150,620,998.00	-294,646,537.00	96,561,569.00	-198,084,968.00
16	**Moradabad**	437	12,390,197.00	62,513,543.00	50,123,346.00	10,600,671.00	60,724,017.00
17	**Prayagraj**	291	495,099.00	25,202,968.00	24,707,869.00	8,819,974.00	33,527,843.00
18	**Saharanpur**	508	14,401,618.00	38,145,709.00	23,744,091.00	3,055,376.00	26,799,467.00
19	**Varanasi I**	390	976,868.00	45,062,804.00	44,085,936.00	11,198,999.00	55,284,935.00
20	**Varanasi II**	373	1,164,719.00	52,284,842.00	51,120,123.00	14,104,572.00	65,224,695.00
	TOTAL	**12964**	**746,298,380.00**	**1,219,655,909.00**	**473,357,529.00**	**488,453,204.00**	**961,810,733.00**

		GSTIN COLLECTION COMMODITY WISE REPORT YEAR : 2022-23					
S.No.	Zone	Total Dealer	IGST Paid from SGST/UTGST ITC	SGST/UTGST paid from IGST ITC	Net IGST transferred (5-4)	Cash Deposited as SGST	Total collection (6+7)(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra	415	10,040,757.00	82,234,170.00	72,193,413.00	11,840,840.00	84,034,253.00
2	Aligarh	577	30,042,609.00	72,590,255.00	42,547,646.00	8,090,237.00	50,637,883.00
3	Ayodhya	294	384,448.00	13,929,111.00	13,544,663.00	8,942,617.00	22,487,280.00
4	Bareilly	343	1,481,833.00	58,808,633.00	57,326,800.00	10,218,960.00	67,545,761.00
5	Etawah	257	1,694,865.00	19,791,104.00	18,096,239.00	9,059,186.00	27,155,425.00
6	Gautambudha Nagar	1166	189,460,264.00	420,972,101.00	231,511,837.00	187,924,710.00	419,436,547.00
7	Ghaziabad I	1605	90,796,599.00	126,807,105.00	36,010,506.00	49,709,505.00	85,720,011.00
8	Ghaziabad II	667	18,410,742.00	53,172,849.00	34,762,107.00	15,249,267.00	50,011,374.00
9	Gorakhpur	508	1,264,108.00	107,892,689.00	106,628,581.00	6,870,035.00	113,498,616.00
10	Jhansi	238	283,416.00	14,454,357.00	14,170,941.00	4,419,783.00	18,590,724.00
11	Kanpur I	302	4,041,619.00	55,541,987.00	51,500,368.00	14,926,273.00	66,426,641.00
12	Kanpur II	354	27,896,912.00	59,277,461.00	31,380,549.00	10,995,755.00	42,376,304.00
13	Lucknow I	566	16,196,584.00	71,749,146.00	55,552,562.00	13,921,446.00	69,474,008.00
14	Lucknow II	525	9,358,179.00	86,806,512.00	77,448,333.00	73,715,444.00	151,163,777.00
15	Meerut	4338	591,506,739.00	205,882,312.00	-385,624,427.00	88,722,614.00	-296,901,813.00
16	Moradabad	521	11,478,396.00	75,984,785.00	64,506,389.00	14,854,916.00	79,361,305.00
17	Prayagraj	366	618,571.00	36,625,038.00	36,006,467.00	8,937,068.00	44,943,535.00
18	Saharanpur	572	19,992,361.00	45,949,217.00	25,956,856.00	4,941,836.00	30,898,692.00
19	Varanasi I	432	2,035,669.00	53,770,156.00	51,734,487.00	15,286,591.00	67,021,078.00
20	Varanasi II	434	2,929,353.00	65,155,376.00	62,226,023.00	21,669,473.00	83,895,496.00
	TOTAL	**14480**	**1,029,914,024.00**	**1,727,394,364.00**	**697,480,340.00**	**580,296,556.00**	**1,277,776,897.00**

GSTIN COLLECTION COMMODITY WISE REPORT

YEAR : 2023-24

S.No.	Zone	Total Dealer	IGST Paid from SGST/UTGST ITC	SGST/UTGST paid from IGST ITC	Net IGST transferred (5-4)	Cash Deposited as SGST	Total collection (6+7)(In Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Agra	348	3,072,836.00	26,943,974.00	23,871,138.00	4,610,675.00	28,481,813.00
2	Aligarh	474	5,165,302.00	26,161,729.00	20,996,427.00	2,961,305.00	23,957,732.00
3	Ayodhya	241	1,205,980.00	4,235,612.00	3,029,632.00	2,900,566.00	5,930,198.00
4	Bareilly	299	727,713.00	22,428,245.00	21,700,532.00	5,013,874.50	26,714,407.00
5	Etawah	222	845,408.00	8,647,294.00	7,801,886.00	2,383,735.00	10,185,621.00
6	Gautambudha Nagar	994	68,916,613.00	117,107,016.00	48,190,403.00	68,098,836.00	116,289,239.00
7	Ghaziabad I	1317	37,180,330.00	35,655,710.00	-1,524,620.00	21,796,513.00	20,271,893.00
8	Ghaziabad II	520	5,616,372.00	19,697,854.00	14,081,482.00	6,932,273.00	21,013,755.00
9	Gorakhpur	438	1,076,317.00	29,396,829.00	28,320,512.00	6,435,840.00	34,756,352.00
10	Jhansi	193	143,416.00	5,556,175.00	5,412,759.00	1,718,058.00	7,130,817.00
11	Kanpur I	252	14,191,252.00	9,400,574.00	-4,790,678.00	6,480,636.00	1,689,958.00
12	Kanpur II	286	1,184,449.00	18,167,479.00	16,983,030.00	7,185,729.00	24,168,759.00
13	Lucknow I	479	2,122,725.00	23,588,199.00	21,465,474.00	7,284,540.00	28,750,014.00
14	Lucknow II	414	857,565.00	39,031,587.00	38,174,022.00	234,185,796.00	272,359,818.00
15	Meerut	3783	243,017,065.00	96,214,652.00	-146,802,413.00	47,237,318.00	-99,565,095.00
16	Moradabad	450	2,962,633.00	30,562,789.00	27,600,156.00	5,187,265.00	32,787,421.00
17	Prayagraj	291	105,181.00	16,573,022.00	16,467,841.00	3,857,142.00	20,324,983.00
18	Saharanpur	492	7,108,986.00	12,663,478.00	5,554,492.00	2,496,490.00	8,050,982.00
19	Varanasi I	372	505,119.00	18,277,129.00	17,772,010.00	7,072,379.00	24,844,389.00
20	Varanasi II	349	494,240.00	19,923,915.00	19,429,675.00	15,724,408.00	35,154,083.00
	TOTAL	**12214**	**396,499,502.00**	**580,233,262.00**	**183,733,760.00**	**459,563,378.50**	**643,297,139.00**

मेरठ क्षेत्र में शीर्ष 10 खेल उद्योग

S. No	GSTIN	Trade name	Turnover 2021-22	liability declared	tax in cash	Turnover 2022-23	liability declared	tax in cash
1	09AACCS2788N1ZM	SANSPAREILS GREENLANDS PRIVATE LIMITED	2183509602	265247072.81	75658338	2466024661	302030535.00	57443851
2	09AALFS8727K1ZE	STAG INTERNATIONAL	1124281775	138022113.96	1429460	722351952.5	82063565	1503815
3	09AADFB2378P1ZY	M/S BHALLA INTERNATIONAL	1104951106	496403.76	478799	1035443588	7374875.63	498170
4	09AAMFS3450J1ZT	M/S SAREEN SPORTS INDUSTRIES	1044337163	152245422.14	23783789	1167765366	174177361.9	28668524
5	09AAMFG1601M1ZA	G. B. SPORTS	750446291.7	68888716.81	1430942	658233752.5	59799465.85	665912
6	09AEYPM6710P1ZH	M/S NATIONAL SPORTS	560136394.2	47036080.51	531609	594690672.7	53674155.91	453616
7	09AAJCP8705F1Z6	PERFECT COMPANION INDIA PRIVATE LIMITED	524602366.4	94742930.68	3759695	1790444315	322186625	8468310
8	09AABCB5502G1Z1	M/S BHALLA SPORTS (P)LTD.	298483388.5	31554025.73	3777259	360319717	38672079.1	2029689
9	09ALSPS7017A2ZU	M/S STANFORD CRICKET INDUSTRIES	290136730.5	27702917.74	644921	386799180.6	37441273	300014
10	09ABXFS7213F1ZO	STERLING SPORTS INDUSTRIES	255053143.2	31673198.32	3165355	220808399.6	22163695.61	215450
			8135937961	**857608882.5**	**114660167**	**9402881605**	**1099583632**	**100247351**

HSN CODE के अनुसार खेल के सामान पर कर की दर (Chapter-95)

HSN Code	Article	Tax Rate
95069990	Elbow Sleeves, Grips, Titanium Grill, Toe Guards, Stumps	**5%**
6211	Sports Wear(Below 1000.00 Rs),	
61051090	Socks	
95069920	Bat, Leg guards	**12%**
42032120	Gloves	
6211	Sports Wear(Above 1000.00 Rs)	
95069980	Chest Guards	
95066920	Ball	
6405	Sports Shoes(Below 1000.00 Rs)	
9504	Chess board, Playing cards, Carom Board with or without coins and strikers and other board games like ludo etc.	
39199020	Fiber Side Face Protection, Neck Protector, Anti Scuff Sheet	**18%**
6405	Sports Shoes(Above 1000.00 Rs)	
65061090	Helmet, Cap, Panama Hat	
42021110	Bags	
9504	Video Games consoles and machines, articles of funfair, table or parlour games, including pin tables, billiards, special tables for casino games and automatic bowling alley equipments.	
9506	Gym Equipment	

Sports Name	विभिन्न स्पोर्टस गुड्स पर करदेयता की स्थिति			
	5%	12%	18%	28%
Cricket	Sports Wear(Below 1000.00 Rs), Stumps, Elbow Sleeves	Bat, Leg guards, Sports Wear(Above 1000.00 Rs), Ball	Helmet, Cap, Sports Shoes(Above 1000.00 Rs), Neck Protector, Cricket Kit	
Badminton		Racket, Shuttlecock, Nets		
Football		Shoulder Pad, Ball		
Golf		Golf clubs and other golf equipments, Ball		
Boxing			Boxing Equipments	
Table Tennis		Articles and equipments of table tennis		
Tennis		Lawn Tennis rackets, whether or not strung, Ball		
Hockey		Hockey Sticks and Blades		
Gym			Articles and Equipments for general physical exercise, gymnastic	
Playing cards		Playing cards		
Video Games			Video Games console and machine, other games operated by coins and bank notes.	

स्पोर्टस गुड्स के निर्माण में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले रॉ-मैटीरियल

- आयरन एवं स्टील
- सिंथेटिक रबर
- प्लास्टिक
- लकड़ी
- रस्सी, धागा, नायलॉन यार्न, प्लास्टिक यार्न
- कपड़ा
- चमड़ा इत्यादि

CHECKLIST

➢ विक्रेताः-

1. कतिपय ट्रेडर्स द्वारा नेक प्रोटेक्टर, फेस प्रोटेक्टर जैसे 18% जी0एस0टी0 दर के अन्तर्गत आने वाले सामान, स्पोर्टस गुड्स की भांति 12% कर दर पर बेच दी जाती है, जबकि उनके द्वारा ITC 18% की दर से क्लेम की जाती है।

2. अगर ट्रेडर्स/व्यापारी स्पोर्ट्स वियर 5% और 12% दोनों टैक्स स्लैब में डील करता है। यदि स्पोर्ट्स वियर का मूल्य रुपये 1000.00 से कम है तो जीएसटी दर 5% है लेकिन यदि स्पोर्ट्स वियर का मूल्य रुपये 1000.00 से अधिक है तो उक्त पर जीएसटी 12% की दर से आकृष्ट होती है। व्यापारी जो स्पोर्ट्स वियर का व्यापार कर रहे हैं, 1000.00 रुपये से ऊपर के स्पोर्ट्स वियर पर @ 12% ITC दर का लाभ उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा उन वस्तुओं को 5% GST दर पर बेचा जाता है। अतः इन वस्तुओं की जी0एस0टी0 दर के अनुसार खरीद-बिक्री की जांच किया जाना आवश्यक है।

3. अगर ट्रेडर्स व्यापारी स्पोर्ट्स शूज 12% और 18% दोनों टैक्स स्लैब में डील करता है। यदि स्पोर्ट्स शूज का मूल्य रुपये 1000.00 से कम है तो जीएसटी दर 12% है लेकिन यदि स्पोर्ट्स शूज का मूल्य रुपये 1000.00 से अधिक है तो उक्त पर जीएसटी 18% की दर से आकृष्ट होती है। व्यापारी जो स्पोर्ट्स शूज का व्यापार कर रहे हैं, 1000.00 रुपये से ऊपर के स्पोर्ट्स शूज पर @ 18% ITC दर का लाभ उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा उन वस्तुओं को 12%

➢ विनिर्माण इकाईयां:-

1. कतिपय विनिर्माण इकाईयां अधिक कच्चा माल खरीदती हैं और उस पर ITC क्लेम कर लेती हैं लेकिन वास्तविक रूप से निर्मित माल में पूर्ण रॉ-मैटीरियल का प्रयोग नही होता है। अतः शेष रॉ-मैटीरियल को निर्माण इकाईयों द्वारा लेखा-पुस्तकों के बाहर विक्रय कर दिया जाता है जबकि उक्त पर सम्पूर्ण ITC सम्पूर्ण रॉ-मैटीरियल पर क्लेम कर ली जाती है।

2. कतिपय विनिर्माण इकाईयां लेखा पुस्तकों से बाहर माल खरीदती हैं और लेखा पुस्तकों के बाहर ही तैयार माल को बेच देती हैं। अतः निर्माण इकाईयों के व्यापार स्थल पर रॉ-मैटीरियल की खरीद का स्टाक एवं उक्त से निर्मित माल की विस्तृत जांच किया जाना आवश्यक है।

3. कतिपय विनिर्माण इकाईयां बोगस एवं अस्तित्वहीन फर्मों से खरीद करते हुए करापवंचन करती है, जिसकी व्यापारी के व्यापार स्थल पर उपलब्ध अभिलेखों से जांच किया जाना आवश्यक है।

- **निर्यातक:-**

1. कतिपय निर्यातक अधिक कच्चा माल खरीदते हैं और उस पर पूर्ण ITC का क्लेम कर लेते हैं लेकिन वास्तविक निर्यात की मात्रा उक्त रॉ-मैटीरियल से कम होती है। अतः शेष रॉ-मैटीरियल को लेखा-पुस्तकों के बाहर विक्रय कर दिया जाता है जबकि उक्त निर्यातकों द्वारा सम्पूर्ण ITC का लाभ लिया जाता है।

2. कतिपय निर्यात इकाईयां बोगस फर्मों से खरीद करते हुए आई0टी0सी0 क्लेम करती हैं, जिसकी गहन जांच करने की आवश्यकता है।

3. सीजीएसटी नियम 96ए(1) के अनुसार इन्वायस जारी होने की तिथि से 3 महीने के अन्तर्गत माल का निर्यात होना आवश्यक है। यदि निर्यातक उपरोक्त शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो निर्यातक को इन्वायस जारी करने की तिथि से 3 महीने की समाप्ति

4. कतिपय निर्यातकों के मामले में, निर्यातक प्राप्त निर्यात लक्ष्य के सापेक्ष निर्यात लाइसेंस प्राप्त करते हैं। उक्त निर्यात लाइसेंस की उनके द्वारा अन्य को बिक्री कर दी जाती है, इस संबंध में निर्यातक लाइसेंस की बिक्री पर कतिपय धनराशि प्राप्त करते हैं, लेकिन वे इस धनराशि के अनुसार ITC को रिवर्स नहीं करते हैं। अतः बैलेंस शीट की जांच करते हुए उक्त निर्यात लाइसेंस की बिक्री पर ITC को रिवर्स किया जाना चाहिए।

5. कतिपय निर्यातक माल का आयात करते हुए ITC क्लेम कर लेते हैं और फिर से वे इन वस्तुओं का निर्यात करते हैं और इन वस्तुओं पर ITC का रिफंड ले लेते हैं। अतः ऐसे निर्यातकों के रिफंड के

चेक लिस्ट
वि0अनु0शा0 जांच से सम्बन्धित

- अधिनियम की धारा 35(1) एवं 36(6) के अनुपालन में स्टाक एवं उत्पादन रजिस्टर नहीं पाये जाने पर व्यापार स्थल पर पाये गये समस्त स्टाक को लेखों के बाहर मानते हुए माल की जब्ती की कार्यवाही की जानी चाहिये।
- खेल उद्योग में प्रयुक्त रॉ-मैटिरियल वुड, आयरन आदि छोटे-छोटे डीलर से बडे डीलर के माध्यम से निर्माता के पास पहुंचता है या निर्माता द्वारा सीधे इस छोटे छोटे डीलर से क्रय किया जाता है। लेखा पुस्तकों से बाहर क्रय किये जाने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः मुख्य रॉ-मैटिरियल का स्टाक कम्प्रेस्ड ब्लाक्स में होता है। अतः इन ब्लाक्स की निश्चित मात्रा सर्वेक्षण के समय लिखी जानी चाहिये।
- लेखा पुस्तकों से बाहर क्रय किये जाने की अधिक सम्भावना रहती है। अतः मुख्य रॉ-मैटिरियल का स्टाक कम्प्रेस्ड ब्लाक्स में होता है। अतः इन ब्लाक्स की निश्चित मात्रा सर्वेक्षण के समय लिखी जानी चाहिये।
- बैलेंस शीट में Other Expenses का व्यापक विश्लेषण गत वर्ष के सापेक्ष किया जाना चाहिये।
- फेक आई0टी0सी0 की जांच इस ट्रेड में छोटे-छोटे सप्लायर से रॉ मैटिरियल लिया जाता है। अतः निर्माता द्वारा अधिनियम की धारा 16(2)(b)/16(2)(c) का अनुपालन किये गये बगैर ITC क्लेम कर ली जाती है। ऐसे मामलों में माल के मूवमेंट, वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान की तथा खरीद की कई स्तरों तक जांच अपेक्षित है।

चेक लिस्ट
सचलदल जांच से सम्बन्धित

- इस ट्रेड में रॉ मैटिरियल की खरीद प्रायः रू0 50000.00 से कम के इनवायस से होती है। अतः सचलदल इकाईयों द्वारा ऐसे इनवायस के संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- रूपये 50 हजार से कम मूल्य के माल के बिक्री बिलों की यथासम्भव प्रति न लेकर इन बिलों की फोटो अपने मोबाईल में लेकर अपने कार्यालय के प्रिंटर से प्रिंट निकालकर न्याय निर्णयन अधिकारी को प्रेषित किये जाने चाहिये।
- छोटे निर्माता अर्ध-तैयार या तैयार माल की आपूर्ति छोटे वाहनों द्वारा करते हैं जिनकी जाँच की जानी चाहिए।

खेल आयोजनों पर जीएसटी करापवंचन..

- खेल हमारे देश में उभरते उद्योगों में से एक है। विभिन्न सरकारी और निजी संगठन हैं जो खेल आयोजन आयोजित करते हैं। भारत में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख खेल आयोजन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल), प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल), इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) आदि हैं।

- इन निकायों की आय में भागीदारी शुल्क, प्रायोजन शुल्क और टिकट बिक्री शामिल है। इस लेख का उद्देश्य उपरोक्त आय पर जीएसटी के निहितार्थ पर ध्यान केंद्रित करना है।

आपूर्ति की गुंजाइश

- जीएसटी के तहत आपूर्ति में बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए पट्टे या निपटान शामिल हैं।

- खेल आयोजन में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों से भागीदारी शुल्क प्राप्त किया जाता है। बदले में, खेल निकाय मैच आयोजित करने, स्कोर रिकॉर्ड करने और विजेताओं की घोषणा करने जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए, जीएसटी भागीदारी शुल्क पर लागू होता है।

- प्रायोजन शुल्क उन व्यावसायिक संगठनों से प्राप्त होता है जो फ्रैंचाइज़ी/टीम खरीदते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए खेल टीम को प्रायोजन प्रदान करते हैं।

- जीएसटी तब लागू होता है जब कोई व्यावसायिक इकाई भुगतान की गई बोली राशि पर फ्रेंचाइजी/टीम खरीदती है। जब कोई व्यवसाय इकाई खेल टीम को प्रायोजन प्रदान करती है, तो व्यवसाय इकाई को रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक होता है।

- मैच का आनंद लेने आये दर्शकों को टिकटों की बिक्री भी जीएसटी के दायरे में आती है. टिकटों के आधार मूल्य पर जीएसटी वसूला जाता है। यदि कोई अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान की जाती हैं (उदाहरण के लिए, वैलेट पार्किंग), तो वह भी जीएसटी के अंतर्गत आती है।

कर की दर और एचएसएन कोड

- जब कार्यक्रम किसी सरकारी खेल निकाय (उदाहरण के लिए, बीसीसीआई, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ) द्वारा आयोजित किया जाता है तो टिकटों की बिक्री पर एचएसएन कोड 998554 के तहत 18% जीएसटी लगता है। यदि कोई निजी संगठन आयोजन करता है, तो लागू जीएसटी दर 28% होगी।

- ब्रांड प्रमोशन के लिए प्रायोजन शुल्क पर एचएसएन कोड 998397 के तहत 18% जीएसटी लगता है। भागीदारी शुल्क एचएसएन कोड 9983 के तहत कवर किया जाता है, जिस पर 18% जीएसटी लगता है।

चेकलिस्ट
खेल आयोजनों के लिए

- खेल संगठन आयोजनों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न सेवाएँ लेते हैं। इन सेवाओं में विज्ञापन, प्रचार, सुरक्षा नियुक्ति, मैदान और पिच का रखरखाव, अंपायरों और कमेंटेटरों की फीस आदि और खेल उपकरण की खरीद शामिल है। ये सेवाएँ जीएसटी के अंतर्गत आती हैं।

करमुक्त

- खेल संगठनों को जीएसटी के तहत उपलब्ध छूट नीचे सूचीबद्ध हैं:
- कला, संस्कृति या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग द्वारा सेवाएं प्रदान करने वाली आयकर अधिनियम की धारा 12AA के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ संस्था को छूट है।
- द्वारा आयोजित खेल आयोजनों का प्रायोजन :
  - राष्ट्रीय खेल महासंघ, या उससे संबद्ध महासंघ
  - भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियाभारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, अंतर-विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
  - केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड
  - भारतीय ओलंपिक संघ
  - पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम
- द्वारा 'मान्यताप्राप्त' खेल निकायों को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ :
  - 'मान्यता प्राप्त' खेल निकायों द्वारा आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ी, रेफरी, अंपायर, कोच के रूप में व्यक्तिगत.
  - एक और 'मान्यता प्राप्त' खेल संस्था.
- मान्यता प्राप्त खेल निकायों में भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ शामिल हैं.

धन्यवाद